दिनांक 6.07.2019 को अपरान्ह् में जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी स्थित थाना कोंहड़ौर में आयोजित "थाना समाधान दिवस" के किये गये औचक निरीक्षण की अभिलिखित टिप्पणी।

द्वारा : जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

आज दिनांक 06.07.2019 को अपरान्ह् में जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी स्थित थाना कोंहड़ौर में आयोजित "थाना समाधान दिवस" का पुलिस अधीक्षक के साथ संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विजय कुमार प्रभारी जिला सूचना अधिकारी, श्री उदय त्रिपाठी थानाध्यक्ष कोंहड़ौर व अन्य कर्मी उपस्थित रहे।

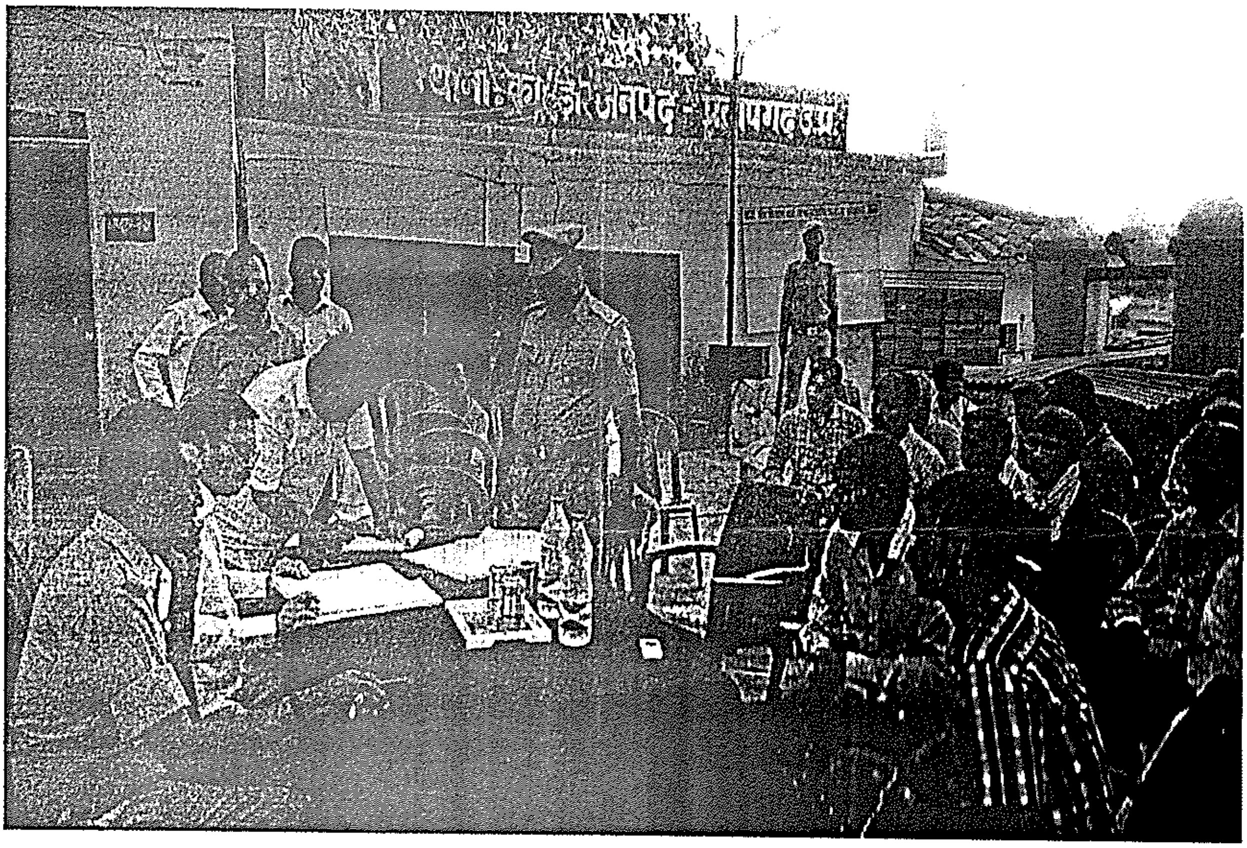

1. थाना समाधान दिवस के दौरान लेखपालों की उपस्थिति पंजिका के अवलोकनोपरांत पाया गया कि उक्त रजिस्टर में मात्र एक राजस्व निरीक्षक श्री विजय शंकर ओझा एवं 04 लेखपाल श्री चन्द्रभान सिंह, श्री राम आसरे सरोज, श्री शिव शंकर सरोज एवं श्री दिनेश चन्द्र पाण्डेय द्वारा हस्ताक्षर बनाये गये हैं। उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में ही इस आशय के स्पष्ट निर्देश दिये जा चुके हैं कि थाना समाधान दिवस से सम्बन्धित रजिस्टर में सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक/लेखपाल का नाम अंकित करा दिया जाये जिससे वे सम्बन्धित तिथि को अपने नाम के सम्मुख हस्ताक्षर कर सकें और जो लोग अनुपस्थित हैं उनका विवरण ज्ञात हो सके, किन्तु खेद का विषय है कि उक्त महत्वपूर्ण निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में समस्त उप जिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में आयोजित होने वाले थाना समाधान दिवसों पर निम्नांकित प्रारूप पर राजस्व निरीक्षक एवं लेखपालों की उपस्थिति सुनिश्चित करानें हेतु अपने स्तर से समस्त सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

-----------2

क्र0	तहसील का नाम	राजस्व निरीक्षक / लेखपाल का नाम	आवंटित क्षेत्र का नाम	मोबाइल नंबर	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6

2. थाना समाधान दिवस के दौरान राजस्व निरीक्षक श्री विजय शंकर ओझा एवं 04 लेखपाल श्री चन्द्रभान सिंह, श्री राम आसरे सरोज, श्री शिव शंकर सरोज एवं श्री दिनेश चन्द्र पाण्डेय उपस्थित रहे। इस सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी पट्टी को निर्देशित किया जाता है कि अनुपस्थित राजस्व निरीक्षक/लेखपालों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में आयोजित होने वाले थाना समाधान दिवसों में अनुपस्थित राजस्व निरीक्षक/लेखपालों की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे अनुपस्थित राजस्व निरीक्षक/लेखपालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करायी जा सके।

3. थाना समाधान दिवस से सम्बन्धित रजिस्टर के अवलोकनोपरांत पाया गया कि दिनांक 19.01.2019 को श्री जय करन सुत श्री सोमई, निवासी ग्राम पड़रीपाल तथा श्रीमती रेखा देवी पत्नी राम गोपाल की के आवेदन–पत्रों पर लेखपाल को भेजे जाने का विवरण अंकित है, किन्तु उनके साथ कौन से उप निरीक्षक/आरक्षी गये थे, उनका विवरण अंकित नहीं है तथा प्रकरण को लेखपाल को संदर्भित कर दिया गया और लेखपाल द्वारा यह आख्या प्रस्तुत की गयी कि विवाद के सम्बन्ध में न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर प्रकरण का निराकरण करायें। उल्लेखनीय है कि राजस्व/पुलिस विभाग की संयुक्त टीम भेजकर समस्या का निराकरण कराना चाहिए था और टीम की रवानगी का विवरण जी0डी0 पर अंकित करना चाहिए था और विवाद को सुलझाने के पश्चात् वापस आने पर उनका विवरण रजिस्टर पर अंकित जाना चाहिए था, किन्तु उसका पालन नहीं किया जा रहा है जिससे थाना समाधान दिवस औपचारिकता मात्र बनकर रह गया है। इस सम्बन्ध में समस्त उप जिलाधकारी/क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में आयोजित होने वाले थाना समाधान दिवस को गम्भीरता से लेकर समस्याओं का समाधान कराते हुए अभिलेखों को अद्यावधिक कराया जाये।

4. थाना समाधान दिवस से सम्बन्धित रजिस्टर में दिनांक 19.01.2019 को श्री सुरेन्द्र प्रसाद की शिकायत का विवरण अंकित है, किन्तु यह प्रकरण किस गॉव से सम्बन्धित है, इसका विवरण रजिस्टर में अंकित नहीं किया गया है। मौके पर उपस्थित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि उक्त से सम्बन्धित विवरण को तत्काल ज्ञात कर अभिलेख में अंकित करना सुनिश्चित करें।

5. दिनांक 02.02.2019 को सम्पन्न थाना समाधान दिवस से सम्बन्धित रजिस्टर में अंकित श्री लाल मोहम्मद, निवासी ग्राम अतरसण्ड, श्री विमलेश देवी निवासी सरांय शंकर एवं श्री गोकरणनाथ निवासी ग्राम सरांय शंकर के लिए आवेदन–पत्रों को सम्बन्धित लेखपाल कमशः श्री श्रीपाल यादव एवं श्री महेश द्वारा प्राप्त किए गए हैं, किन्तु उनके समाधान हेतु राजस्व एवं पुलिस टीम की रवानगी का विवरण जी0डी0 में अंकित नहीं है और समाधान का तस्करा भी जी0डी0 में अंकित नहीं किया गया है। मौके पर उपस्थित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि उक्त के सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार

आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

6. दिनांक 15.06.2019 को सम्पन्न थाना समाधान दिवस में श्रीमती आशा देवी का प्रार्थना–पत्र अंकित किया गया है, किन्तु रजिस्टर के कॉलम में सम्बन्धित लेखपाल/आरक्षी को प्राप्त कराए जाने का विवरण अंकित नहीं है और समस्या का समाधान कराये जाने का विवरण भी अंकित नहीं किया गया है। मौके पर उपस्थित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि उक्त से सम्बन्धित समस्या का समाधान कराकर तत्काल सम्बन्धित रजिस्टर में अंकित कराना सुनिश्चित करें।

7. दिनांक 19.06.2019 को पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा अपनी निरीक्षण टिप्पणी में थाना समाधान दिवस को प्रभावी बनाने के लिए कतिपय निर्देश भी अंकित किए गए हैं फिर भी उन निर्देशों के कम में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मौके पर उपस्थित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि उक्त निर्देशों का तत्काल अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

8. निरीक्षण के दौरान थाना समाधान दिवस से सम्बन्धित रजिस्टर में अंकित निस्तारण आख्याओं के अवलोकनोपरांत पाया गया कि अधिकांश आख्याओं में उभयपक्ष के हस्ताक्षर तथा स्थल का नजरी–नक्शा नहीं बनाया गया है। इस सम्बन्ध में जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि थाना समाधान दिवस के दौरान प्राप्त शिकायतों की निस्तारण आख्याओं में स्पाट मेमो बनाया जाये तथा पक्ष–विपक्ष के हस्ताक्षर कराने तथा नजरी–नक्शा बनाकर प्रस्तुत करने हेतु अपने स्तर से अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक/लेखपालों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें। साथ ही अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को यह भी निर्देशित करें कि थाना समाधान दिवस से सम्बन्धित रजिस्टर को निम्न पेशानी पर तैयार किया जाये :--

क्र0	शिकायत का दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम व पता	शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर	शिकायत का विवरण	जाँचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी का नाम	कृत कार्यवाही व स्थल का नजरी नक्शा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	9

9. निरीक्षण में पाया गया कि गत में आयोजित समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतें कम है और आज अपरान्ह् 1.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 18 शिकायतकर्ता उपस्थित हुए। इससे स्पष्ट है कि थाना समाधान दिवस का पर्याप्त प्रचार–प्रसार नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) एवं अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी/पश्चिमी) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त महत्वपूर्ण कार्यकम का अपने–अपने क्षेत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार करायें जिससे थाना समाधान दिवस के दिन भूमि विवाद से सम्बन्धित अधिक से अधिक शिकायतें प्राप्त हों और उनका राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम के माध्यम से स्थलीय निरीक्षण कराकर तत्काल समाधान हो सके।

10. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि थाना परिसर में काफी संख्या में लावारिस 02 एवं 04 पहिया वाहन खड़े हैं। इस सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि उक्त लावारिस एवं निष्प्रयोज्य वाहनों के निस्तारण हेतु तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

11. निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि थाने पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों को अद्यावधिक स्थिति में रखा जाये तथा सम्बन्धित रजिस्टरों में नियमित

रूप से प्रविष्टियाँ अंकित की जायें।

समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उपर्युक्त दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(मार्कण्डेय शाही)
जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी प्रतापगढ़।

संख्या : 793/शिविर–2019 दिनांक : जुलाई 07, 2019

1. मण्डलायुक्त प्रयागराज।
2. पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र, प्रयागराज।
3. पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।
4. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/मुख्य राजस्व अधिकारी, प्रतापगढ़।
5. अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी/पश्चिमी), प्रतापगढ़।
6. समस्त उप जिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष, प्रतापगढ़।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, प्रतापगढ़।
8. राजस्व/न्याय सहायक कलेक्ट्रेट/अन्य समस्त सम्बन्धित।

जिलाधिकारी
प्रतापगढ़।